रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112023-250185
CG-DL-E-21112023-250185

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 670] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 21, 2023/कार्तिक 30, 1945
No. 670] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21, 2023/KARTIKA 30, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2023

सं. 12/2023-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 853(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "सिंथेटिक ग्रेड जिओलाइट 4ए (डिटर्जेंट ग्रेड)" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मदों 3824 99 22, 3824 90 90, 3824 99 90, 2842 90 90, 2826 90 00, 2839 90 90 और 2842 10 00 के अंतर्गत आता है, के आयातों पर प्रारम्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 57/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 13 दिसंबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1203(अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 7/14/2022-डीजीटीआर, दिनांक 29 सितम्बर, 2022, जिसे दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/14/2022-डीजीटीआर, दिनांक 12 सितम्बर, 2023, जिसे दिनांक 12 सितम्बर, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से निरंतर पाटन जारी है और यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसे आयात का भारत के बाजार में बहुत कम मूल्य पर पंहुचते रहने की संभावना है;

(ii) विषयगत देश से हो रहे इस प्रकार के आयात से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है;

(iii) लिखित सूचनाओं के आधार पर ऐसा पता चलता है कि लागू प्रतिपाटन शुल्क को यदि इस स्तर पर समाप्त कर दिया जाता है तो इसके पाटन के बने रहने और इस प्रकार की क्षति के होते रहने की संभावना है;

(iv) ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हैं जिनसे पता चलता है कि यदि इस स्तर पर प्रतिपाटन शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो इन वस्तुओं की यहां भरमार होती रहेगी और घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचती रहेगी,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली ऐसी क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के लिए सिफारिश की है;

अत: अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 57/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 13 दिसंबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1203(अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मदों के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथाः-

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	38249922 38249090 38249990 28429090 28269000 28399090 28421000	सिंथेटिक ग्रेड जिओलाइट 4ए (डिटर्जेंट ग्रेड)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	चाल्को शेडोंग एडवांस मटेरियल कंपनी लिमिटेड (सी इस ऐ म सी ल)	163.90	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
2.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	अन्य	चीन जनवादी गणराज्य से अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक	207.72	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
3.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	अन्य	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक	207.72	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण– इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/209/2023–टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2023

No. 12/2023-Customs (ADD)

G.S.R. 853(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification number 7/14/2022-DGTR, dated the 29th September, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29th September, 2022, had initiated the review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Synthetic Grade Zeolite 4A (Detergent Grade)" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 3824 99 22, 3824 90 90, 3824 99 90, 2842 90 90, 2826 90 00, 2839 90 90 and 2842 10 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) initially imposed *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), number 57/2018-Customs (ADD), dated the 13th December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1203(E), dated the 13th December, 2018;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published *vide* notification number 7/14/2022-DGTR, dated the 12th September, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, dated the 12th September, 2023, has come to the conclusion that-

(i) there is continued dumping of the subject goods from the subject country and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of cessation of duty;

(ii) dumped imports from subject country are causing injury to the domestic industry;

(iii) the information on record shows likelihood of continuation of dumping and injury in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage;

(iv) there is strong likelihood of diversion of exports of the subject goods from the subject country to India if the existing anti-dumping measure ceases to exist,

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), number 57/2018-Customs (ADD), dated the 13th December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1203(E), dated the 13th December, 2018, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the following Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the

corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as indicated in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (8) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely :-

TABLE

Sl. No.	Tariff Item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Currency	Unit of Measurement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	38249922 38249090 38249990 28429090 28269000 28399090 28421000	Synthetic Grade Zeolite 4A (Detergent Grade)	China PR	China PR	Chalco Shandong Advance Material Co. Ltd. (CSAMCL)	163.90	USD	MT
2	-do-	-do-	China PR	Any	All Other producers/ exporters from China PR	207.72	USD	MT
3	-do-	-do-	China PR	Any	All Other producers/ exporters other than ChinaPR	207.72	USD	MT

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/209/2023-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.21 19:44:48 +05'30'